

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली  
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण सख्या:-02/2015

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक:-01.01.2015

जीसीएमएस नं. 2015/00126

1. आसीराम पुत्र भूरसिंह आयु 60 साल } जाति जाट निवासी विजयपुरा  
2. सत्यपाल पुत्र रामाधार आयु 45 साल } तहसील हिण्डौन जिला करौली

—वादीगण-02

बनाम

1. अतरसिंह  
2. बिजेन्द्र  
3. रेखसिंह  
4. भरतसिंह  
5. मुंद्रा

पिसरान मुकंदा उर्फ मुख्यतार जाति गुर्जर  
निवासी खिदक तहसील बयाना जिला भरतपुर

6. रूमाली पत्नि मनोहरी पुत्री मुकंदा उर्फ मुख्यतार जाति गुर्जर निवासी रसेरी  
तहसील बयाना जिला भरतपुर।  
7. सुशीला पत्नि रामसिंह पुत्री मुकंदा उर्फ मुख्यतार जाति गुर्जर निवासी वेशिया  
का नंगला तहसील बयाना जिला भरतपुर।  
8. केशपती पत्नि अमरसिंह पुत्री मुकंदा उर्फ मुख्यतार जाति गुर्जर निवासी  
पाटका तहसील बयाना जिला भरतपुर।  
9. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0।


—प्रतिवादीगण-09

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 02/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री एस एल चौधरी एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रकरण में वादी अपनी सम्पूर्ण दस्तावेजी व जुबानी सहादत से उक्त वादपत्र को साबित करने में असफल रहा। अतः वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28-11-2025 को यह डिक्री जारी की गई।

  
(हेमराज गूर्जर)  
उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन (जिला करौली)